151

[2022] 17 एस. सी. आर. 151

क.

ग्राहक और केंद्रीय आयुक्त, अमृतसर (पंजाब)

वी.

मेसर्स डी. एल. स्टील्स ई. टी. सी.

(2009 की सिविल अपील संख्या 2360-2376) 11 जुलाई, 2022

[संजीव खन्ना और बेला एम**.** त्रिवेदी**,** जे**.** जे**.]**

सीमा शुल्क अधिनियम, 1975-सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा दावा किए गए शीर्ष 0813 के तहत शुल्क प्रविष्टियों में सूखे अनार के बीजों/'अनारदाना' के वर्गीकरण के संबंध में विवाद या उत्तरदाताओं/आयातकों द्वारा दावा किए गए शीर्ष 1209 के तहत-उत्तरदाताओं ने पाकिस्तान से 'अनारदाना' की दो खेपों का आयात किया और वस्तुओं को टैरिफ उप-शीर्षक 1209.99.90 के तहत वर्गीकृत किया, जो 5 प्रतिशत की दर से बुनियादी सीमा शुल्क और 2 प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकर को आकर्षित करता है-हालांकि, सीमा शुल्क अधिकारियों के अनुसार माल उप-शीर्षक 0813.40.90 के तहत आता है, जो 2 प्रतिशत की दर से 30 प्रतिशत की दर से बुनियादी सीमा शुल्क और शिक्षा उपकर को आकर्षित करता है-न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने अंतर शुल्क की पुष्टि की और एक नियम लागू किया।एक बार सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्ष को स्वीकार कर लिया जाता है कि 'अनारदाना' स्थानीय 'दारू' या 'ए' का एक सूखा उत्पाद है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

151

152 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 17 एस. सी. आर.

जंगली अनार, जो मध्य पहाड़ी परिस्थितियों में उगता है और अपने ताजा रूप में कौन सा फल खंड 7 से शीर्ष 08.10 में शामिल अनार से अलग है, क्योंकि इस जंगली अनार का सेवन ताजे फल के रूप में नहीं किया जाता है, राजस्व का विवाद विफल होना चाहिए-CESTAT द्वारा किए गए वर्गीकरण को बरकरार रखा गया।

क़ानूनों की व्याख्या-सामान्य बोलचाल का सिद्धांत/सामान्य बोलचाल परीक्षण-जब किसी शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया जाता है, या इसके अर्थ के बारे में अस्पष्टता होती है, तो इसकी व्याख्या लोकप्रिय अर्थों में वर्गीकरण के उद्देश्य से की जानी चाहिए, जो कि उन लोगों द्वारा इसका श्रेय दिया जाता है जो उस विषय वस्तु से परिचित हैं जिससे क़ानून निपट रहा है-यह कानून निर्माता के दिमाग को समझने के लिए क़ानूनों की व्याख्या के सामान्य सिद्धांत का विस्तार है-हालाँकि, उपरोक्त नियम कुछ अपवादों के अधीन है, उदाहरण के लिए, जब किसी क़ानून में शब्द के साथ एक कृत्रिम परिभाषा या विशेष अर्थ जुड़ा होता है, तो सामान्य ज्ञान दृष्टिकोण लागू नहीं होगा।

ग

डी.

शब्द और वाक्यांश-'खाद्य' शब्द का अर्थ-लैटिन शब्द 'एडिबिलिस' से लिया गया है जिसका अर्थ है खाने योग्य-सामान्य बोलचाल परीक्षण के सिद्धांत का उपयोग करके समझा जाना चाहिए।

शब्द और वाक्यांश-'बीज' शब्द का अर्थ-आम बोलचाल में और व्यावसायिक अर्थ में बुवाई के लिए उपयोग किए जाने वाले पौधों के अनाज या पके हुए अंडाशय का अर्थ है-'अनारदाना' जंगली अनार के अरिल को निर्जलित करके तैयार किया जाता है न कि अनार से जिसे ताजे फल के रूप में खाया जाता है।

ई.

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः**1.1.**आम बोलचाल में और व्यावसायिक अर्थ में 'बीज' शब्द का अर्थ है बुवाई के लिए उपयोग किए जाने वाले पौधों के अनाज या पके हुए अंडाशय।एक बीज का सामान्य कार्य अंकुरित करना और एक नए पौधे का उत्पादन करना है।मोटे तौर पर**,** एक बीज में एक प्रसारक संरचना शामिल होती है जैसे कि एक बीजाणु**,** या एक छोटा सा सूखा फल।कुछ फल और सब्जियों के बीज खाने योग्य होते हैं और मनुष्यों द्वारा भोजन के रूप में या मसालों के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं।**[**पैरा **24] [170-**डी-ई**]**

च

जी.

1.2.अदालत ने कहा कि एक बार सी**.** ई**.** एस**.** टी**.** ए**.** टी**.** द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्ष को स्वीकार कर लिया जाता है कि 'अनारदाना' स्थानीय 'दारू' या जंगली अनार का एक सूखा उत्पाद है**,** जो मध्य पहाड़ी स्थितियों में उगता है और जो फल अपने ताजा रूप में ए से अलग है।

एच.

153

ग्राहक और केंद्रीय आयोग, अमृतसर (पंजाब) बनाम एम./एस. डी. एल. स्टील ई. टी. सी.

खंड **7** से शीर्ष **08.10** में शामिल अनार**,** क्योंकि इस जंगली अनार का सेवन ताजे फल के रूप में नहीं किया जाता है**,** राजस्व का तर्क विफल होना चाहिए।राजस्व का यह तर्क कि आयात नीति प्रत्यायोजित विधान की प्रकृति में है**,** हालांकि सही है**,** वर्तमान मामले के संदर्भ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि निर्यात/आयात नीति में नीतिगत शर्त में विशेष रूप से अनार के बीज शामिल हैं**-**उप**-**शीर्षक **1209.99.00** के तहत 'अनारदाना' के रूप में**,** जबकि सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम**, 1975** की अनुसूची केवल एच**.** एस**.** एन**.** के शीर्षक और उप**-**शीर्षक को पुनः प्रस्तुत करती है**,** उप**-**शीर्षक **1209.99** के तहत अनार के बीजों को विशेष रूप से शामिल या बहिष्कृत किए बिना।**[**पैरा **25] [170-**एफ-जी**; 171-**बी-डी**]**

ग

1.3.प्रत्यर्थी का प्रस्तुत करना सही है कि जब राजस्व निर्धारिती द्वारा किए गए वर्गीकरण को चुनौती देता है**,** तो यह स्थापित करने की जिम्मेदारी राजस्व पर होती है कि विचाराधीन वस्तु इंटैक्सिंग श्रेणी में आती है जैसा कि उन्होंने दावा किया है।राजस्व पर यह दिखाने के लिए उचित साक्ष्य प्रस्तुत करने का बोझ है कि माल निर्धारिती द्वारा दावा किए गए शीर्षक से अलग शीर्षक के तहत वर्गीकृत किए जा सकते हैं।सी**.** ई**.** एस**.** टी**.** ए**.** टी**.** द्वारा दर्ज तथ्य का निष्कर्ष आयात नीति के उप**-**शीर्षक **1209.99.00** से जुड़ी नीतिगत शर्त से मजबूत होता है जिसमें विशेष रूप से कहा गया है**-**'अनार के बीजों का आयात मुफ्त होगा'।बिना किसी संदेह के**,** आयात नीति में उप**-**शीर्षक **1209.99.00** एचएसएन के अध्याय **12** के उप**-**शीर्षक **1209.99** से संबंधित है। **[**पैरा **25] [170-**एच**; 171-**ए-बी**]**

डी.

ई.

1.4.पोस्टस्क्रिप्ट के रूप में**,** यह भी उल्लेखनीय है कि अनार के बीज मसाला बोर्ड अधिनियम**, 1986** की अनुसूची के तहत 'मसाला' के रूप में अधिसूचित और मान्यता प्राप्त वस्तुओं में से एक हैं।इस अधिनियम की धारा **2 (**एन**)** में कहा गया है कि 'मसाला' का अर्थ अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी वस्तु से है।**[**पैरा **27] [171-**एफ**; 172-**ए**]**

च

1.5.यह सलाह दी जा सकती है कि राजस्व को आंकड़ों की जांच करने और 'अनारदाना' के वर्गीकरण पर व्यापार संघों के विचारों का पता लगाने या एक विशिष्ट सीमा शुल्क तय करने के बाद एक विचारशील नीतिगत निर्णय लेना चाहिए।जब तक उक्त अभ्यास नहीं किया जाता है**,** तब तक सी**.** ई**.** एस**.** टी**.** ए**.** टी**.** द्वारा निर्धारित वर्गीकरण को भ्रम और मुकदमेबाजी से बचने के लिए जारी रखा जा सकता है।**[**पैरा **27] [172-**सी**]**

जी.

एच.

क.

डनलप इंडिया लिमिटेड बनामभारतीय संघ और ओआरएस। **(1976) 2**

एससीसी 241:[1976] 2 एससीआर 98, केंद्रीय आयुक्त

आबकारी, नई दिल्ली बनाम कनॉट प्लाजा रेस्तरां

प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (2012) 13 एस. सी. सी. 639:[2012] 11

एस**.** सी**.** आर**. 365,** केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर**,** कानपुर बनाम कृष्णा कार्बन पेपर कंपनी**, (1989) 1** एस**.** सी**.** सी**. 150:**

[1988] 3 पूरक।एससीआर 12, एच. पी. एल. केमिकल्स लिमिटेड बनाम.

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त**,** चंडीगढ़ **(2006) 5**

एससीसी 208:[2006] 1 पूरक।एससीआर 125, पारले एग्रो प्राइवेट लिमिटेड।

लिमिटेड वी.वाणिज्यिक कर आयुक्त, त्रिवेंद्रम

(2017) 7 एससीसी 540:[2017] 5 एस. सी. आर. 30, भारत संघ

ग

& ओआरएस**.** वी**.**गारवेयर नायलन्स लिमिटेड और अन्य। **(1996) 10** एससीसी

413 :[1996]5 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 629-**संदर्भित।

बेन बॉमगार्टनर।“इसे चबाना:संयुक्त राज्य अमेरिका की सुसंगत शुल्क अनुसूची में खाद्य के अर्थ का निर्धारण, "कैनसस लॉ रिव्यू, कैनसस लॉ रिव्यू इंक. नवंबर, 2015:खण्ड. 64 (1), जे. एस. प्रुथी और ए. के. सक्सेना।“जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सितंबर/अक्टूबर, 1984:खण्ड. 21, अमित पराशर, एस. के. गुप्ता और अशोक कुमार।“अनार के बीजों को अलग करने की तकनीकों और अनारदाना की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव पर अध्ययन, "अफ्रीकन जर्नल ऑफ बायोकेमिस्ट्री रिसर्च, अक्टूबर, अभिमन्यु ठाकुर, एन. एस. ठाकुर, हामिद, प्रदीप कुमार और सुनाक्षी गौतम।“मैकेनिकल कैबिनेट ड्रायर में

तैयार सूखे जंगली अनार अरिल्स (अनारदाना) के भंडारण गुणवत्ता मूल्यांकन पर अध्ययन।इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ प्योर एंड

डी.

ई.

च

एप्लाइड केमिस्ट्री, अगस्त, 2020:खण्ड. 21 (11)-संदर्भित।

निर्णीत विधि संदर्भ

जी.

[1976] 2 एससीआर **98**

संदर्भित किया गया है

पैरा **12**

[2012] 11 एससीआर **365**

संदर्भित किया गया है

पैरा **12**

[1988] 3 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 12** पैरा **12** ए**.** में संदर्भित है।

एच.

155

ग्राहक और केंद्रीय आयोग, अमृतसर (पंजाब) बनाम एम./एस. डी. एल. स्टील ई. टी. सी.

[2006] 1 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 125** पैरा **25 [2017] 5** एस**.** सी**.** आर**. 30** को संदर्भित करता है।

संदर्भित किया गया है

पैरा **25**

[1996] 5 पूरक।पैरा **25** में निर्दिष्ट एस**.** सी**.** आर**. 629**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:2009 की सिविल अपील Nos.2360-2376।

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली की सीमा शुल्क अपील में 2007 के 297 और 341 से 346 तक के निर्णय और आदेश से।

सुश्री माधवी गोराडिया दीवान, ए. एस. जी., मोहम्मद अखिल, सुश्री निधि खन्ना, सुश्री सीमा बेनगनी, अमित जे., मुकेश कुमार मारोरिया, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

ग

रुपेश कुमार, सुश्री पंखुड़ी श्रीवास्तव, सुश्री नीलम शर्मा, राजीव शर्मा, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजीव खन्ना, जे।

डी.

ये अपीलें एक आम सवाल उठाती हैं-क्या सूखे अनार के बीजों, जिन्हें घरेलू स्तर पर 'अनारदाना' के रूप में जाना जाता है, को सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के तहत जारी टैरिफ प्रविष्टियों के शीर्ष 0813 के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए, जैसा कि सीमा शुल्क आयुक्त, अमृतसर द्वारा दावा किया गया है, 2 या शीर्ष 1209 के तहत जैसा कि आयातकों द्वारा दावा किया गया है?3

ई.

2. संक्षिप्तता के लिए, हम केवल एम/एस के मामले में विशिष्ट तथ्यों का उल्लेख करेंगे।डी. एल. स्टील्स, जिसमें प्रतिवादी ने 15 दिसंबर 2005 और 9 मार्च 2006 के बिल ऑफ एंट्री के माध्यम से पाकिस्तान से 'अनारदाना' 4 की दो खेपों का आयात किया था।कराधान के लिए उन्होंने वस्तुओं को टैरिफ उप-शीर्षक 1209.99.90 के तहत वर्गीकृत किया, जिसमें 5 प्रतिशत की दर से बुनियादी सीमा शुल्क और 2 प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकर शामिल था।हालांकि, सीमा शुल्क अधिकारियों का तर्क है कि माल उप-शीर्षक 0813.40.90 के तहत आना चाहिए, और तदनुसार, 30 प्रतिशत की दर से बुनियादी सीमा शुल्क और 2 प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकर के लिए उत्तरदायी हैं।

च

3. इसके लिए, सहायक आयुक्त, रेल कार्गो, अमृतसर, 5 के कार्यालय ने 27 मार्च 2006 को एक कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया, जिसमें अन्य बातों के साथ कहा गया है कि ताजा अनार शीर्ष के अंतर्गत आता है।

जी.

1 "अधिनियम, "संक्षेप में।

2 "अपीलार्थी "/" राजस्व ", संक्षेप में।

3 "संक्षेप में उत्तरदाता "/" अन्य उत्तरदाता "।4 इसके बाद "माल" के रूप में संदर्भित किया जाता है।

एच.

5 इसके बाद "न्यायनिर्णायक प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित किया जाता है।

क.

0810, और माल, ताजा अनार के फलों के बीजों के सूखे रूप के अलावा और कुछ नहीं होने के कारण, हेडिंग 0813 के तहत आएगा, एक प्रविष्टि जो हेडिंग 0807 से 0810 के तहत आने वाली सभी वस्तुओं के सूखे रूप को शामिल करती है।नतीजतन, उप-शीर्षक 0813.40.90 माल पर लागू होगा।

4. बांड के निष्पादन पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सामान को अस्थायी रूप से जारी किया गया था।31 मई 2006 के निर्धारण आदेश द्वारा, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28 (2) के तहत Rs.82,136/- के अंतर शुल्क की पुष्टि की और प्रतिवादी पर सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 112 के साथ पठित धारा 114-ए के तहत Rs.82,000/- का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया।धारा 28 एबी के तहत ब्याज की वसूली का निर्देश दिया गया था।

ग

5. समान आधारों के आधार पर सामान को उप-शीर्षक 0813.40.90 के तहत वर्गीकृत करने, अंतर शुल्क, ब्याज और जुर्माना लगाने के समान आदेश अन्य उत्तरदाताओं के मामलों में भी पारित किए गए थे।6. प्रतिवादियों द्वारा की गई पहली अपीलों को आयुक्त

(अपील), केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जालंधर द्वारा इस आधार पर अनुमति दी गई थी कि माल एक प्रकार के अनार का सूखा रूप था, जिसे ताजा होने पर फल के रूप में नहीं खाया जाता है।तदनुसार, 0810 शीर्षक, जो फल के रूप में सेवन किए जाने वाले अनार के प्रकार पर लागू होता है, का उस अनार के प्रकार से कोई संबंध नहीं होगा जिससे माल प्राप्त किया जाता है।इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि उत्तरदाताओं का तर्क भारतीय निर्यात/आयात नीति के उप-शीर्षक 1209.99.90 से जुड़ी नीतिगत शर्त के आलोक में भी प्रबल होगा, जिसमें विशेष रूप से कहा गया है

डी.

ई.

– " अनार के बीजों का आयात निःशुल्क होगा।7

7. राजस्व ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, 8 के समक्ष अपीलों को प्राथमिकता दी, जिसे प्रतिवादी के मामले में, 18 जुलाई 2008 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था, अन्य बातों के साथ-साथ डॉ. वाई. एस. परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन के प्रमाण पत्र का हवाला देते हुए, यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि माल हेडिंग 0813 के दायरे में नहीं आता है।सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने कहा कि एक कर कानून में शब्दों को उसी अर्थ में समझा जाना चाहिए जैसा कि सामान्य या व्यापार की भाषा में समझा जाता है, और राजस्व अपने इस तर्क का समर्थन करने के लिए कोई सबूत देने में विफल रहा है कि व्यापार की भाषा में, माल को सूखे मेवों के रूप में समझा जाता है।

च

जी.

6 "आयात नीति ", संक्षेप में।

7 यहाँ "मुक्त" शब्द यह दर्शाता है कि अनार के बीजों का आयात लाइसेंस प्रतिबंधों के अधीन नहीं है।इसका मतलब यह नहीं है कि सीमा शुल्क देय नहीं है।उप-शीर्षक का संदर्भ प्रासंगिक है।

8 "सी. ई. एस. टी. ए. टी. ", संक्षेप में।

एच.

157

ग्राहक और केंद्रीय आयोग, अमृतसर (पंजाब) बनाम एम./एस. डी. एल. स्टील ई. टी. सी. [संजीव खन्ना, जे।] ए.

क.

आयात नीति में अवलोकन का संदर्भ दिया गया था जिसमें वस्तुओं को उप-शीर्षक 1209.99.90 के तहत वर्गीकृत किया गया था। शीर्ष 1209 के व्याख्यात्मक टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, यह माना गया कि चूंकि माल उप-शीर्षक 1209.99.09 से स्पष्ट रूप से बाहर रखी गई वस्तुओं की सूची में नहीं आता है, इसलिए वे उप-शीर्षक 1209.99.90 में बहुत अच्छी तरह से शामिल हैं।तदनुसार, उप-शीर्षक 0813.40.90 लागू नहीं था, और अपील को खारिज कर दिया गया था।

8. सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा अन्य उत्तरदाताओं के मामलों में भी इसी तरह के आदेश पारित किए गए थे।परिणामस्वरूप, राजस्व हमारे समक्ष अपील में है।

9. विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा विकसित नामकरण की सुसंगत प्रणाली, 9 को भारत में सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1975 के माध्यम से अपनाया गया है, हालांकि इस अधिनियम की अनुसूचियों में कुछ प्रविष्टियां हैं जिन्हें एच. एस. एन. कोड नहीं दिए गए हैं।द हार्मोनाइज्ड

ग

प्रणाली को सुसंगत वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे अपनाया गया था

डी.

1983, और जनवरी, 1988 में लागू किया गया।यह बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद नामकरण वस्तुओं के विवरण, वर्गीकरण और संकेतन में सामंजस्य स्थापित करता है।जबकि एच. एस. एन. का प्राथमिक उद्देश्य व्यापार को सुविधाजनक बनाना और सहायता करना है, संहिता का व्यापक रूप से सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और निजी क्षेत्र द्वारा अन्य विविध उद्देश्यों जैसे आंतरिक करों, आयात शुल्कों की निगरानी, कोटा नियंत्रण, मूल के नियम, परिवहन आँकड़े, माल ढुलाई शुल्क, राष्ट्रीय खातों का संकलन, और आर्थिक अनुसंधान और विश्लेषण के लिए भी उपयोग किया जाता है।वर्तमान समय में, 200 से अधिक देशों द्वारा सामंजस्यपूर्ण प्रणाली को व्यापक रूप से अपनाने को देखते हुए, सामंजस्यपूर्ण प्रणाली की ओर बढ़े बिना, वस्तुओं से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुद्दे से निपटना बेहद मुश्किल होगा।कोड कस्टम नियंत्रण और प्रक्रियाओं का आधार है।एच. एस. एन. में 5000 से अधिक वस्तु समूह शामिल हैं, जिन्हें 21 अनुभागों और 97 अध्यायों में संरचित किया गया है, जिन्हें आगे चार और छह अंकों के उप-शीर्षकों में विभाजित किया गया है।भारत जैसे कई कस्टम प्रशासन, आठ या अधिक अंकों की वस्तु कोडिंग प्रणाली का उपयोग करते हैं, जिसमें पहले छह अंक एचएसएन कोड होते हैं।

ई.

च

जी.

10. सामंजस्यपूर्ण प्रणाली के तहत वर्गीकरण सबसे उपयुक्त और उपयुक्त उप-शीर्षक के तहत अच्छे को रखकर किया जाता है।यह क्रमशः उपयुक्त अध्याय, शीर्षक और उप-शीर्षक चुनकर किया जाता है।व्याख्या और वर्गीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए, 97 अध्यायों में से प्रत्येक में

एच.

9 "हारमोनाइज्ड सिस्टम "/" एच. एस. एन "./" कोड ", संक्षेप में।

एच. एस. एन. में संबंधित अध्याय टिप्पणियाँ, सामान्य टिप्पणियाँ और स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं जो उस अध्याय के भीतर शीर्षकों और उप-शीर्षकों पर लागू होती हैं।इसके अलावा, व्याख्या 10 के छह सामान्य नियम हैं जो समग्र रूप से सामंजस्यपूर्ण प्रणाली पर लागू होते हैं।

11. जी. आर. आई. 1 में कहा गया है कि अनुभागों, अध्यायों और उप-अध्यायों के शीर्षक केवल संदर्भ की सहजता के लिए प्रदान किए गए हैं।इसलिए, उनका वर्गीकरण पर कोई कानूनी असर नहीं है।वर्गीकरण बी-इफेक्टेड हैः(क) शीर्षकों की शर्तों और किसी सापेक्ष धारा या अध्याय टिप्पणियों के अनुसार; और, (ख) बशर्ते कि शीर्षकों या अध्याय टिप्पणियों को इसके बाद निहित प्रावधानों के अनुसार अन्यथा आवश्यकता न हो, अर्थात।, जी. आर. आई. 2 से 6 तक।इस प्रकार, उपरोक्त से यह स्पष्ट है किः((i) शीर्षकों और (ii) संबंधित अनुभाग या अध्याय टिप्पणियों पर वर्गीकरण करने से पहले विचार किया जाना चाहिए।इस अभ्यास के बाद ही, यदि वर्गीकरण में कोई टकराव बना रहता है, तो बाद के जी. आर. आई. का सहारा लिया जाना चाहिए।जी. आर. आई. 2 वर्तमान मामले के अनुरूप नहीं है और इसलिए, हम इसका कोई संदर्भ नहीं देते हैं।जी. आर. आई. 3 उस स्थिति में वर्गीकरण प्रदान करता है जब माल को दो या दो से अधिक शीर्षकों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।जी. आर. आई. 3 के अनुसार, जब जी. आर. आई. 2 (बी) के उपयोग से या किसी अन्य कारण से माल को प्रथम दृष्टया एक से अधिक शीर्षकों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, तो (ए) 'सबसे विशिष्ट विवरण' को प्राथमिकता दी जाएगी, (बी) विभिन्न वस्तुओं के मिश्रण को उस वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जो मिश्रण को इसकी 'आवश्यक विशेषता' देता है, और (सी) जब माल को (ए) या (बी) के संदर्भ में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, तो उन्हें उस शीर्षक के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए जो संख्यात्मक क्रम में अंतिम होता है।11 अतः प्राथमिकता का क्रम है; (क) विशिष्ट

ग

डी.

ई.

10 "जी. आर. आई. ", संक्षेप में।जी. आर. आई. को सीमा शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में शामिल किया गया था।

11 व्याख्या 1 और 3 के सामान्य नियमों को स्पष्टीकरण टिप्पणियों के बिना नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

“1. धाराओं, अध्यायों और उप-अध्यायों के शीर्षक केवल संदर्भ की सुगमता के लिए प्रदान किए गए हैं; कानूनी उद्देश्यों के लिए, वर्गीकरण का निर्धारण शीर्षकों की शर्तों और किसी भी सापेक्ष धारा या अध्याय टिप्पणियों के अनुसार किया जाएगा और बशर्ते कि ऐसे शीर्षकों या टिप्पणियों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार अन्यथा आवश्यकता न हो।

च

एक्सएक्स	एक्सएक्स	एक्सएक्स

जी.

3. जब नियम 2 (बी) को लागू करके या किसी अन्य कारण से, वस्तुओं को, प्रथम दृष्टया, दो या दो से अधिक शीर्षकों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, तो वर्गीकरण निम्नानुसार प्रभावी होगाः

(क) अधिक सामान्य विवरण प्रदान करने वाले शीर्षकों की तुलना में सबसे विशिष्ट विवरण प्रदान करने वाले शीर्षक को प्राथमिकता दी जाएगी।हालांकि, जब दो या दो से अधिक शीर्षकों में से प्रत्येक ए में निहित सामग्री या पदार्थों के केवल एक हिस्से को संदर्भित करता है।

एच.

159

ग्राहक और केंद्रीय आयोग, अमृतसर (पंजाब) बनाम एम./एस. डी. एल. स्टील ई. टी. सी. [संजीव खन्ना, जे।] ए.

विवरण, (बी) आवश्यक चरित्र, और (सी) शीर्षक जो संख्यात्मक क्रम में स्थायी होता है।हालाँकि, जी. आर. आई. 3 केवल तभी प्रभावी हो सकता है जब शीर्षक या धारा या अध्याय टिप्पणियों की शर्तों की अन्यथा आवश्यकता न हो।जी. आर. आई. 4 में कहा गया है कि जब वस्तुओं को उपरोक्त नियमों के अनुसार वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, तो उन्हें उन वस्तुओं के लिए उपयुक्त शीर्षक के तहत वर्गीकृत किया जाएगा जिनके वे सबसे अधिक समान हैं।जी. आर. आई. 5 विशेष रूप से मामलों और पैकिंग सामग्री पर लागू होता है, और इसलिए, उपयुक्त नहीं है।जी. आर. आई. 6 में कहा गया है कि एक शीर्ष के उप-शीर्षकों में वस्तुओं का वर्गीकरण उन उप-शीर्षकों और किसी भी संबंधित टिप्पणियों की शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, और उपरोक्त जी. आर. आई. के लिए उत्परिवर्तन इस समझ पर किया जाएगा कि केवल उसी स्तर पर उप-शीर्षकों की तुलना की जा सकती है।

ग

12. हम, इस स्तर पर, इस सुविचारित सिद्धांत को दर्ज करेंगे कि एक कर कानून में शब्दों का अर्थ व्यापार में उनके सामान्य रूप से स्वीकृत अर्थ और उनके लोकप्रिय अर्थ के अनुरूप होना चाहिए।12 जब किसी शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया जाता है, या इसके अर्थ के बारे में अस्पष्टता होती है, तो इसकी व्याख्या लोकप्रिय अर्थ में वर्गीकरण के उद्देश्य से की जानी चाहिए, जो उन लोगों द्वारा इसका श्रेय दिया जाता है जो उस विषय वस्तु से परिचित हैं जिससे कानून निपट रहा है।इस सिद्धांत की अधिकारियों को सराहना करनी चाहिए क्योंकि यह एक अच्छी राजकोषीय नीति है जो लोगों को उनके कर दायित्व के बारे में संदेह या दुविधा में नहीं डालती है।सामान्य बोलचाल परीक्षण कानून निर्माता के दिमाग को समझने के लिए कानूनों की व्याख्या के सामान्य सिद्धांत का

विस्तार है।हालाँकि, उपरोक्त नियम कुछ अपवादों के अधीन है, उदाहरण के लिए, जब किसी क़ानून में शब्द के साथ एक कृत्रिम परिभाषा या विशेष अर्थ जुड़ा होता है, तो सामान्य ज्ञान दृष्टिकोण लागू नहीं होगा।13

डी.

ई.

मिश्रित या मिश्रित वस्तुओं या केवल खुदरा बिक्री के लिए रखे गए सेट में वस्तुओं के हिस्से के लिए, उन शीर्षकों को उन वस्तुओं के संबंध में समान रूप से विशिष्ट माना जाना चाहिए, भले ही उनमें से एक माल का अधिक पूर्ण या सटीक विवरण दे।

च

(ख) विभिन्न सामग्रियों या विभिन्न घटकों से बने मिश्रण, मिश्रित सामान और खुदरा बिक्री के लिए सेट में रखे गए सामान, जिन्हें (क) के संदर्भ में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, को इस तरह वर्गीकृत किया जाएगा जैसे कि उनमें ऐसी सामग्री या घटक शामिल हों जो उन्हें उनकी आवश्यक प्रकृति देता हो, जहां तक यह मानदंड लागू हो।

जी.

(ग) जब वस्तुओं को (क) या (ख) के संदर्भ में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, तो उन्हें उस शीर्षक के तहत वर्गीकृत किया जाएगा जो संख्यात्मक क्रम में उन लोगों के बीच अंतिम होता है जो समान रूप से विचार के योग्य हैं।

12 डनलप इंडिया लिमिटेड बनाम देखें।भारतीय संघ और ओआरएस। (1976) 2 एस. सी. सी. 241, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, नई दिल्ली बनाम कनॉट प्लाजा रेस्तरां प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (2012) 13 एस. सी. सी. 639।

13 केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, कानपुर बनाम कृष्णा कार्बन पेपर कंपनी, (1989) 1

एच.

एससीसी 150।

160

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 17 एस सी आर।

13. प्रासंगिक सामान्य, अध्याय और व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ दो प्रतिस्पर्धी शीर्षकों को नीचे निकाला गया हैः

“ अध्याय 8:खाद्य फल और नट्स; साइट्रस फल या खरबूजे का छिलका

अध्याय टिप्पणियाँ।

1.- इस अध्याय में अखाद्य मेवों या फलों को शामिल नहीं किया गया है।XXXXXX

जनरलः

इस अध्याय में फलों, मेवों और खट्टे फलों या खरबूजों (तरबूजों सहित) के छिलकों को शामिल किया गया है, जो मानव उपभोग के लिए है (चाहे प्रस्तुत किया गया हो या प्रसंस्करण के बाद)।

ग

XXXXXXX 08.10-अन्य फल, ताजे।

081010 - स्ट्रॉबेरी

डी.

081020 - रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, शहतूत और लोगनबेरी 081030-काले, सफेद या लाल किशमिश और गूसबेरी

081040 - क्रैनबेरी, बिलबेरी और वैक्सिनियम वंश के अन्य फल

ई.

081050 - कीवी फल

081060 - ड्यूरियन

081090 - अन्य

0810.90 अन्य

च

इस शीर्षक में उन सभी खाद्य फलों को शामिल किया गया है जो इस अध्याय के किसी भी पूर्ववर्ती शीर्षक में नहीं आते हैं और न ही नामकरण के अन्य अध्यायों में शामिल हैं (इस अध्याय के सामान्य व्याख्यात्मक नोट में बहिष्करण देखें)।

जी.

अतः इसमें निम्नलिखित शामिल हैंः

(1) – (6)

(7) बॉयसेनबेरी, रोवन बेरीज, एल्डरबेरी, सैपोडिला (नासबेरी), अनार, कैक्टस अंजीर (कांटेदार नाशपाती), गुलाब कूल्हों, पर्सिममन्स (काकिस), जुजुब्स, मेडलर, लोंगन्स, लीची, सोरसोप्स, ए

एच.

161

ग्राहक और केंद्रीय आयोग, अमृतसर (पंजाब) बनाम एम./एस. डी. एल. स्टील ई. टी. सी. [संजीव खन्ना, जे।] ए.

असिमिना त्रिलोबा प्रजाति के मिठाई और फल जिन्हें पावपॉज़ के नाम से भी जाना जाता है।

XXXXXX

08.13 – 08.01 से 08.06 तक के शीर्षकों के अलावा सूखे फल; इस अध्याय के मेवों या सूखे मेवों का मिश्रण।

0813.10 - खुबानी

0813.20 - प्रून

0813.30 - सेब

0813.40 - अन्य फल

ग

0813.50 – इस अध्याय (ए) के मेवों या सूखे मेवों का मिश्रण।

इस शीर्षक में सूखे मेवे शामिल हैं जिन्हें ताजा होने पर शीर्षकों 08.07 से 08.10 में वर्गीकृत किया जाता है।इन्हें या तो सीधे धूप में सुखाकर या औद्योगिक प्रक्रियाओं (जैसे, सुरंग-सुखाने) द्वारा तैयार किया जाता है।

डी.

एक्सएक्स	एक्सएक्स	एक्सएक्स

हालांकि, शीर्षक में ऐसे उत्पादों को शामिल नहीं किया गया है जिसमें इस शीर्षक के एक या अधिक सूखे मेवों का मिश्रण पौधों या अन्य अध्यायों के पौधों के कुछ हिस्सों के साथ या अन्य पदार्थों जैसे कि एक या अधिक पौधों के अर्क (आम तौर पर शीर्षक 21.06) के साथ होता है।XXXXXX

ई.

अध्याय **12:**तिलहन और ओलियाजिनस फल**;** विविध अनाज**,** बीज और फल**;** औद्योगिक या औषधीय पौधे**;** पुआल और चारा

च

अध्याय टिप्पणियाँ।

(1.)-(2.)

3.- 12.09 शीर्षक के उद्देश्यों के लिए, चुकंदर के बीज, घास और अन्य जड़ी-बूटियों के बीज, सजावटी फूलों के बीज, सब्जी के बीज, वन के पेड़ों के बीज, फलों के पेड़ों के बीज, वेट्स के बीज (विसिया फैबा प्रजाति के अलावा) या ल्यूपिन के बीज को "बुवाई के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रकार के बीज" के रूप में माना जाना चाहिए।(क) फलीदार सब्जियाँ या मीठे मकई (अध्याय 7); (ख) अध्याय 9 के मसाले या अन्य उत्पाद; (ग) अनाज (अध्याय 10); या (घ) शीर्षकों के उत्पाद।

जी.

एच.

12.01 12.07 या 12.11 तक।XXXXXX

12.09- एक प्रकार के बीज, फल और बीजाणु, जिनका उपयोग बुवाई के लिए किया जाता है।1209.10 चुकंदर के बीज

-चारा पौधों के बीजः

1209.21 ल्यूसर्न (अल्फाल्फा) बीज

1209.22 क्लोवर (ट्राइफोलियम एसपीपी.) बीज 1209.23 फेस्क्यू बीज

ग

1209.24 केंटकी नीली घास (पोआ प्रेटेंसिस एल.) बीज

1209.25 राई घास (लोलियम मल्टीफ्लोरम लैम., लोलियम पेरेन एल.) बीज

1209.26 टिमोथी घास का बीज

1209.29 अन्य

डी.

1209.30 जड़ी-बूटियों वाले पौधों के बीज मुख्य रूप से उनके फूलों के लिए उगाए जाते हैं।

- अन्यः

1209.91 सब्जी के बीज

ई.

1209.99 - अन्य

इस शीर्षक में बुवाई के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी बीज, फल और बीजाणु शामिल हैं।इसमें ऐसे उत्पाद शामिल हैं, भले ही वे अंकुरण में सक्षम न हों।हालाँकि, इसमें इस व्याख्यात्मक टिप्पणी के अंत में उल्लिखित उत्पादों को शामिल नहीं किया गया है, जिन्हें बुवाई के लिए लक्षित किया गया है, लेकिन नामकरण में कहीं और वर्गीकृत किया गया है क्योंकि उनका उपयोग आमतौर पर बुवाई के अलावा किया जाता है।

च

शीर्षक में चुकंदर के बीज, घास या अन्य जड़ी-बूटियों के बीज (ल्यूसर्न, सैनफॉइन, क्लोवर, फेस्क्यू राई घास, केंटकी नीली घास, टिमोथी घास, आदि), सजावटी फूलों के बीज, सब्जी के बीज, वन के पेड़ों के बीज (बीज वाले पाइन शंकु सहित), फलों के पेड़ों के बीज, वेट्स के बीज (विसिया फैबा, यानी, चौड़ी सेम और घोड़े की सेम प्रजातियों के अलावा), ल्यूपिन के बीज, इमली के बीज, तंबाकू के बीज और बीज (जिनका स्वयं उपयोग नहीं किया जाता है) शामिल हैं।

जी.

एच.

163

ग्राहक और केंद्रीय आयोग, अमृतसर (पंजाब) बनाम एम./एस. डी. एल. स्टील ई. टी. सी. [संजीव खन्ना, जे।] ए.

मुख्य रूप से इत्र में, फार्मेसी में या कीटनाशक, कवकनाशी या इसी तरह के उद्देश्यों के लिए) पौधों के उत्पाद जो शीर्षक 12.11 के उत्पाद देते हैं।

XXXXX शीर्षक में शामिल नहीं हैः

(a) मशरूम स्पॉन (शीर्षक 06.02)।

(ख) फलीदार सब्जियाँ और मीठे मकई (अध्याय 7)।(ग) अध्याय 8 का फल।

(घ) अध्याय 9 के मसाले और अन्य उत्पाद।(ई) अनाज (अध्याय 10)

ग

(च) 12.01 से 12.07 तक के शीर्षकों के तिल और ओलियाजिनस फल।(छ) बीज और फल जो स्वयं एक प्रकार के होते हैं जिनका उपयोग मुख्य रूप से इत्र बनाने में, फार्मेसी में, या कीटनाशक, कवकनाशक या इसी तरह के उद्देश्यों के लिए किया जाता है (शीर्षक 12.11)

डी.

(ज) टिड्डी बीन्स (शीर्षक 12.12)।XXXXXX

12.11 – पौधों और पौधों के भागों (बीज और फलों सहित), एक प्रकार का मुख्य रूप से इत्र में, फार्मेसी में या कीटनाशक, कवकनाशी या इसी तरह के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, ताजा या सूखा, चाहे काटा गया हो या नहीं, कुचल दिया गया हो या पाउडर किया गया हो।

ई.

1211.10 – शराब की जड़ें

1211.20 – जिनसेंग की जड़ें

च

1211.30 – कोका पत्ती

1211.40 – खसखस का पुआल

1211.90 – अन्य

इस शीर्षक में मुख्य रूप से इत्र, फार्मेसी या दवा में या कीटनाशक, कवकनाशक, परजीवीनाशक या इसी तरह के उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले एक प्रकार के सब्जी उत्पाद शामिल हैं।वे पूरे पौधों, काई या लाइकेन के रूप में या भागों (जैसे लकड़ी, छाल, जड़ें, तन, पत्ते, फूल, पंखुड़ियां, फल और बीज (headings12.01 से 12.07 में वर्गीकृत ओलियाजिनस फल और तेल के बीज के अलावा) के रूप में हो सकते हैं, या अपशिष्ट के रूप में हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप, मुख्य रूप से, यांत्रिक रूप से

जी.

एच.

उपचार।वे सिरलेख में रहते हैं चाहे वे ताजे हों या सूखे, पूरे, कटे हुए, कुचले हुए, पीसे हुए या पाउडर या (जहां उपयुक्त हो) कटे हुए या छिद्रित।शराब से भरे हुए इस शीर्षक के उत्पाद यहाँ वर्गीकृत किए जाते हैं।"

14. यद्यपि किसी भी पक्ष द्वारा उद्धृत या निर्भर नहीं किया गया है, पूर्णता के लिए, हम अध्याय 9 के प्रासंगिक शीर्षकों और लागू सामान्य और व्याख्यात्मक टिप्पणियों को पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगेः

" अध्याय 9:कॉफी, चाय, मेट और मसाले

जनरलः

इस अध्याय में शामिल हैंः

ग

(2) मसाले, अर्थात, वनस्पति उत्पादों का एक समूह (बीज आदि सहित), जो आवश्यक तेलों और सुगंधित सिद्धांतों से समृद्ध है, और जो अपने विशिष्ट स्वाद के कारण मुख्य रूप से मसालों के रूप में उपयोग किए जाते हैं।

इस अध्याय में आगे कहा गया हैः

डी.

(ए)-(सी)

(घ) कुछ फल, बीज और पौधों के कुछ हिस्से, जिनका उपयोग हालांकि मसालों के रूप में किया जा सकता है, अक्सर इत्र या दवा में उपयोग किया जाता है (शीर्षक 12.11) (जैसे, कैसिया फली, रोजमेरी, जंगली मार्जोरम, तुलसी, बोरेज, हिसोप, पुदीने, रुए और ऋषि की सभी प्रजातियां)।XXXXXX

ई.

09.09 - एनीज, बदियन, सौंफ, धनिया, जीरा या कैरेवे के बीज; जुनिपर बेरीज।

0909.10 – एनीज या बदियन के बीज 0909.20-धनिया के बीज 0909.30-जीरे के बीज 0909.40-कैरेवे के बीज

च

0909.50 – सौंफ के बीज; जुनिपर जामुन

इन फलों या बीजों का उपयोग मसालों के रूप में, औद्योगिक उद्देश्यों (जैसे, आसवन कारखानों में) और औषधीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है।वे इस शीर्षक में तब भी रहते हैं, जब विशेष रूप से एनीज़ के बीजों के मामले में, उन्हें हर्बल इन्फ्यूजन या हर्बल "चाय" बनाने के लिए (जैसे, पाउच में) रखा जाता है।

जी.

XXXXXX A

एच.

165

ग्राहक और केंद्रीय आयोग, अमृतसर (पंजाब) बनाम एम./एस. डी. एल. स्टील ई. टी. सी. [संजीव खन्ना, जे।] ए.

09.10 – अदरक, केसर, हल्दी, अजवाइन, तेजपत्ता, करी और अन्य मसाले।

0910.10 – अदरक

0910.20- केसर

0910.30 - हल्दी (करक्यूमा) 0910.40-अजवाइन; तेजपत्ता 0910.50-करी

- अन्य मसालेः

0910.91— इस अध्याय के टिप्पण 1 (ख) में निर्दिष्ट मिश्रण

0910.99 — अन्य

ग

इस प्रकार, एनीज, बैडियन, सौंफ, धनिया, जीरा और कैरेवे के बीज शीर्षक 09.09 के अंतर्गत आते हैं।नोट समावेशी है और बताता है कि इन बीजों का उपयोग मसालों के रूप में, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए और औषधीय उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।हालाँकि, जो प्रासंगिकता है वह सामान्य टिप्पणी 2 है जो आवश्यक तेलों और सुगंधित सिद्धांतों से समृद्ध बीज आदि सहित वनस्पति उत्पादों के एक समूह को संदर्भित करता है, या जो अपने चरित्रात्मक स्वाद के कारण मुख्य रूप से मसालों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। हालांकि, इस अध्याय में कुछ फलों, बीजों और पौधों के कुछ हिस्सों को शामिल नहीं किया गया है, जो हालांकि मसालों के रूप में उपयोग किए जाते हैं, लेकिन अक्सर इत्र या चिकित्सा में उपयोग किए जाते हैं और जिन्हें 12.11 शीर्षक के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

डी.

ई.

15. अध्याय 8 के पहले अध्याय में कहा गया है कि अखाद्य मेवों और फलों को अध्याय में शामिल नहीं किया गया है।स्पष्ट रूप से, वर्गीकरण के उद्देश्य से, यह टिप्पणी 'खाद्य' और 'अखाद्य' फलों के बीच अंतर करती है।व्युत्पत्ति के अनुसार, 'खाद्य' शब्द लैटिन शब्द 'एडिबिलिस' से निकला है जिसका अर्थ है 'खाने योग्य'।वेबस्टर्स न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी के अनुसार 'खाद्य' शब्द का अर्थ है "भोजन के रूप में खाने योग्य; खाने योग्य;

च

एस्क्युलेंट।"संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश खाद्य को इस प्रकार परिभाषित करता है -

"खाने के लिए उपयुक्त "।वाक्यांश 'खाने के लिए उपयुक्त' हानिकारक प्रभावों की अनुपस्थिति का संकेत दे सकता है।हालांकि, जबकि 'खाद्य' शब्द सरल लगता है, यह विस्तार की गारंटी देता है क्योंकि अति-सरलीकरण समस्याग्रस्त होगा।बेन बॉमगार्टनर ने अपने लेख, 14 में संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न न्यायालयों के कई निर्णयों का उल्लेख करते हुए तर्क दिया है कि निर्णय 'खाद्य' शब्द का अर्थ निर्धारित करने के लिए विभिन्न परीक्षणों और मापदंडों में समाप्त हुए हैं।इन्हें नीचे निकाला गया हैः

जी.

14 बेन बॉमगार्टनर।"इसे चबानाःसंयुक्त राज्य अमेरिका की सुसंगत शुल्क अनुसूची में खाद्य का अर्थ निर्धारित करना।कान्सास लॉ रिव्यू, कान्सास लॉ

नवंबर, 2015 की समीक्षाःखण्ड. 64 (1)।

एच.

"इस प्रकार, अदालतों ने यह निर्धारित करने के लिए कई अन्य परीक्षणों की ओर रुख किया है कि क्या कोई वस्तु खाद्य है या नहीं। इस तरह के परीक्षणों में शामिल हैंः(1) क्या अच्छा इंद्रियों के लिए खाद्य प्रतीत होता है, (2) क्या अच्छा पोषण प्रदान करता है, (3) क्या अच्छे के घटक भाग खाद्य हैं, (4) क्या अच्छा मुख्य रूप से भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है, (5) क्या अच्छा बिना हानिकारक प्रभावों के खाया जा सकता है, (6) क्या अच्छा "आदतन खाया जाता है", और (7) क्या अच्छा वास्तव में खाया जाता है।इस टिप्पणी में तर्क दिया गया है कि एक वस्तु को खाद्य माना जाना चाहिए यदि इसे बिना हानिकारक प्रभावों के खाया जा सकता है, लेकिन यह कि क्या वस्तु को "आदतन खाया" जाता है, यह नियंत्रित करना चाहिए कि क्या वस्तु का परीक्षण करना खतरनाक है, और यदि इनमें से किसी भी परीक्षण का कोई परिणाम नहीं मिलता है, तो इस मामले को इस बात से हल किया जाना चाहिए कि वस्तु को वास्तव में खाया गया है या नहीं।"

ग

इसके बाद लेखक ने तर्क दिया कि किसी वस्तु को खाद्य माना जाना चाहिए यदि उसे बिना हानिकारक प्रभावों के खाया जा सकता है, हालांकि, 'नियमित रूप से खाया गया' परीक्षण लागू होगा यदि हानिकारक प्रभावों की जांच के लिए माल का परीक्षण खतरनाक है। यदि दोनों परीक्षणों में से कोई भी परिणाम नहीं देता है, तो यह निर्धारित करके मामले को हल किया जाना चाहिए कि क्या वस्तु वास्तव में खाई गई थी।हमें इस लेख पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह दर्ज करने के उद्देश्य से कि 'खाद्य' शब्द विविध और कई अर्थों में सक्षम है, जो प्रशंसनीय हैं।वर्तमान मामले के उद्देश्य के लिए, 'खाद्य' शब्द का अर्थ सामान्य बोलचाल के सिद्धांत का उपयोग करके किया जाना चाहिए, जिस पर ऊपर चर्चा की गई है।कानून निर्माता, कानूनों को लागू करते समय, इस बात से अवगत होते हैं कि किसी शब्द को आम या व्यापारिक भाषा में कैसे समझा जा सकता है।इस प्रकार, यदि उस विषय से परिचित लोगों द्वारा दिए गए अर्थ से अलग अर्थ को किसी शब्द के साथ जोड़ने का इरादा था, तो उसे विशेष रूप से एक परिभाषा के माध्यम से चित्रित किया जाएगा।'खाद्य' शब्द की ऐसी कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है, और इसलिए, सामान्य बोलचाल परीक्षण का

उपयोग करके इसकी व्याख्या की जानी चाहिए।इसलिए जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या सामान-'अनारदाना', सूखे अनार हैं, जिन्हें आम बोलचाल में ताजा होने पर 'खाने योग्य' फलों के रूप में समझा जाता है।इससे पहले कि हम तथ्यात्मक पहलू पर विस्तार से चर्चा करें, इस इच्छा के लिए आवश्यक है कि हम अध्याय 8 में उप-शीर्षक 081340.90 पर विचार करें।

डी.

ई.

च

जी.

16. अपीलार्थी का तर्क है कि माल उप-शीर्षक 081340.90 द्वारा कवर किया गया है।जैसा कि शीर्षक के शीर्षक में ही उल्लेख किया गया है, शीर्षक में ऐसे फल शामिल नहीं हैं जो ताजे होने पर ए के अंतर्गत आते हैं।

एच.

167

ग्राहक और केंद्रीय आयोग, अमृतसर (पंजाब) बनाम एम./एस. डी. एल. स्टील ई. टी. सी. [संजीव खन्ना, जे।] ए.

शीर्षक 08.01 से 08.06 तक।यदि सूखे फल शीर्षकों 08.07 से 08.10 के तहत वर्गीकृत ताजे फलों से संबंधित हैं, तो वे 0813.40 में 'अन्य फलों' की श्रेणी में आते हैं।इस शीर्षक के उद्देश्य से सूखे मेवों को या तो सीधे धूप में सुखाकर या सुरंग सुखाने जैसी औद्योगिक प्रक्रिया से तैयार किया जा सकता है।हेडिंग 08.13 के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी के अंतिम भाग में कहा गया है कि इस हेडिंग के एक या अधिक सूखे मेवों के पौधों या अन्य अध्यायों के पौधों के हिस्सों या अन्य पदार्थों, जैसे कि एक या अधिक पौधों के अर्क के साथ मिश्रण वाले उत्पादों को बाहर रखा गया है।इस संबंध में शीर्षक 21.06 का संदर्भ दिया गया है।हालाँकि, यह नोट विचाराधीन वस्तुओं पर लागू नहीं होता है, क्योंकि वे अन्य पौधों या पौधों के कुछ हिस्सों के साथ मिश्रित नहीं होते हैं।

ग

17. यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि शीर्षक के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी 08.10 में कहा गया है कि शीर्षक में उन सभी खाद्य फलों को शामिल किया गया है जो अध्याय के किसी भी पूर्ववर्ती शीर्षक में नहीं आते हैं, और न ही अन्य अध्यायों में शामिल हैं। किसी अन्य अध्याय में शामिल किसी भी फल को उपशीर्षक 08.10 के तहत शामिल नहीं किया जाना है।इस संबंध में इस अध्याय के सामान्य टिप्पण में अपवर्जन का भी उल्लेख किया जा सकता है।सामान्य व्याख्यात्मक टिप्पणियों में कई सब्जियों और अन्य उत्पादों को शामिल नहीं किया गया है, भले ही वानस्पतिक रूप से वे फल हैं, क्योंकि उन्हें अन्य अध्यायों में अधिक विशेष रूप से शामिल किया गया है।उदाहरण के रूप में उन फलों का उल्लेख किया गया है जो मुख्य रूप से फार्मेसी या इत्र, टिड्डी, खुबानी की गुठली या अध्याय 12 में निहित इसी तरह के फलों में उपयोग किए जाते हैं।अध्याय टिप्पण में अध्याय 8 से अध्याय 9 के उत्पाद भी शामिल नहीं हैं।

डी.

ई.

18. अपीलार्थी के दावे के पक्ष में, यह रेखांकित किया जाना चाहिए कि अनार, कुछ अन्य फलों के साथ, उप-शीर्षक 0810.90 के स्पष्टीकरण टिप्पणियों के खंड 7 को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है।नतीजतन, यह कुछ योग्यता के साथ तर्क दिया जा सकता है कि सूखे अनार, यदि सूर्य में सुखाकर या औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किया जाता है, तो उप-शीर्षक 0813.40 के तहत आएगा।

च

19. हालाँकि, अनार असामान्य फल हैं और उनकी संरचना अन्य फलों से अलग है।सबसे बाहरी परत एक कठोर और अखाद्य खोल है।खाद्य भाग में बीज और अरिल होते हैं।एरिल मीठे, रसदार और कुरकुरे आवरण हैं जो बीजों को घेरते हैं।हालांकि, सी. ई. एस. टी. ए. टी. की खोज यह है कि जंगली अनार जिनसे 'अनारदाना' बनाया जाता है, अनार के फल से अलग होते हैं।तथ्य की इस खोज को

काफी साहित्य द्वारा समर्थित किया गया है जिसमें कहा गया है कि 'अनारदान' जंगली अनार के अरिल को निर्जलित करके तैयार किया जाता है, न कि अनार से।

जी.

एच.

168

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 17 एस सी आर।

अनार जिसे ताजे फल के रूप में खाया जाता है।15 जंगली अनार के फल का पारंपरिक उपयोग 'अनारदाना' बनाने के लिए गूदे के साथ बीजों को सुखाने में होता है।जंगली अनार का फल हिमालय की पहाड़ी ढलानों पर व्यापक रूप से पाया जाता है।इसमें अन्य गुणवत्ता विशेषताओं के साथ उच्च एसिड सामग्री होती है, जो इसे अनार के फल से अलग करती है जिसे ताजे फल के रूप में खाया जाता है।सूखे जंगली अनार के अरिल में उच्च एसिड सामग्री के कारण एक अलग तीखा और खट्टा स्वाद होता है, जो इसे व्यावसायिक मूल्य देता है।'इसलिए, 'अनारदाना' को पके हुए खट्टे अनार के धूप में सूखे बीजों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, और इसका उपयोग मुख्य रूप से भारतीय और फारसी व्यंजनों में एक अम्लीय के रूप में किया जाता है, और आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में इसके स्वास्थ्य लाभों के लिए किया जाता है।

ग

20. उत्तरदाताओं ने अपने तर्क के समर्थन में Dr.Y.S परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र पर भरोसा किया है, जिस पर CESTAT द्वारा भरोसा किया गया है और लिखा गया हैः

" यह किसके लिए चिंतित हो सकता है

डी.

यह प्रमाणित करने के लिए है कि अनारदना स्थानीय दारू का सूखा उत्पाद है जो मध्य पहाड़ी परिस्थितियों में जंगली रूप में उगता है।दारु के फलों की कटाई जुलाई/अगस्त के महीने में की जाती है और बीजों को निकालने के बाद सुखाया जाता है जिसे अनारदाना के नाम से जाना जाता है।जबकि, अनार

ई.

15 संदर्भ लेंःजे. एस. प्रथी और ए. के. सक्सेना।"अनर्दना पर अध्ययन "।जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सितंबर/अक्टूबर, 1984:खण्ड. 21, और पहले पैराग्राफ का विशिष्ट संदर्भ दिया जा सकता है जिसमें लिखा है "सूखे, खट्टे, पूरे अनार (पुनिका ग्रेनेटम एल) के बीज जिन्हें लोकप्रिय रूप से अनारदाना के नाम से जाना जाता है, का उपयोग उत्तर भारत में इमली और अमचूर (सूखे कच्चे आम) के स्थान पर भारतीय करी, चटनी आदि में एक अम्लीय के रूप में किया जाता है।इसका उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में भी किया जाता है।

अमित पराशर, एस. के. गुप्ता और अशोक कुमार का शोध पत्र।"इस पर किए गए अध्ययन

च

अनार के बीजों को अलग करने की तकनीक और अनारदाना की गुणवत्ता पर उनका प्रभाव।

अफ्रीकन जर्नल ऑफ बायोकेमिस्ट्री रिसर्च, अक्टूबर, 2009:वॉल्यूम।3(10) बताता है "जंगली अनार के फलों (अनारदाना) के निर्जलित बीजों का उपयोग पाक की तैयारी में और विभिन्न दवाओं को बनाने में अम्लीय के रूप में किया जाता है।"

अभिमन्यु ठाकुर, एन. एस. ठाकुर, हामिद, प्रदीप कुमार और सुनाक्षी गौतम।

“सूखे जंगली अनार अरिल्स (अनारदाना) के भंडारण गुणवत्ता मूल्यांकन पर अध्ययन

मैकेनिकल कैबिनेट ड्रायर में तैयार "।इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, अगस्त, 2020:वॉल्यूम।21(11), जिसके प्रासंगिक भाग में लिखा है "फल (जंगली अनार) प्रकृति में अत्यधिक अम्लीय होने के कारण इसके सूखे उत्पाद में संसाधित किया जा रहा है जिसे अनारदाना कहा जाता है।कई पश्चिम और पूर्वी एशियाई देशों में विशिष्ट खट्टे या तीखे स्वाद के साथ सूखे जंगली अनार के अरिल व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हैं।अनारदाना कार्बनिक अम्ल, शर्करा, विटामिन सी, फिनोल, फ्लेवोनोइड्स का एक अच्छा स्रोत है और इसका उपयोग विभिन्न आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण में किया जाता है जो कई बीमारियों को ठीक करने में सहायक होते हैं।

जी.

एच.

169

ग्राहक और केंद्रीय आयोग, अमृतसर (पंजाब) बनाम एम./एस. डी. एल. स्टील ई. टी. सी. [संजीव खन्ना, जे।] ए.

क.

इसका उपयोग ताजे फलों के लिए किया जाता है और इसके बीजों का सेवन ऐसे किया जाता है जो अनारदान के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

अनारदाना स्वाद में खट्टा होता है और आयुर्वेदिक फ़ारेसियों में इसका उपयोग किया जाता है।हालाँकि, दारू (अनर्दना) और अनार का वानस्पतिक नाम कुछ ऐसा है जो पुनिका ग्रेनेटम है और अनर्दना एक सूखी उपज नहीं है।

21. अब हम लागू टिप्पणियों के साथ शीर्षक 12.09 और विशेष रूप से उप-शीर्षक 1209.99 की जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अध्याय 12 के अध्याय टिप्पणी 3 में कहा गया है कि शीर्षक 12.09 के उद्देश्य से, उसमें निर्दिष्ट बीज, जिनमें फलों के पेड़ों के बीज शामिल हैं, को 'बुवाई के एक प्रकार के उपयोग के बीज' के रूप में माना जाना चाहिए।इसलिए, अध्याय नोट 3 एक काल्पनिक कथा बनाता है जब यह निर्धारित किया जाता है कि 12.09 शीर्षक के उद्देश्य से, फलों के पेड़ों के बीजों को 'बुवाई के लिए उपयोग किए जाने वाले एक प्रकार के बीज' माना जाएगा।नोट, हालांकि, खंड (ए) से (डी) में निर्दिष्ट वस्तुओं को स्पष्ट रूप से बाहर करता है, भले ही वे बुवाई के उद्देश्य से हों।खंड (बी) मसालों और अध्याय 9 के अन्य उत्पादों को शीर्षक 12.09 के दायरे से बाहर करता है।इसके अलावा, उपशीर्षक 1209.99 के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियों में भी अध्याय 8 के फलों को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है, जो अध्याय बहिष्करणों और व्याख्या के सिद्धांतों के अधीन है जो प्रविष्टियों के वर्गीकरण के टकराव को हल करने के लिए लागू होते हैं, 'खाद्य फलों' पर लागू होता है न कि 'अखाद्य फलों' पर।

ग

डी.

ई.

22. अब हम हेडिंग 12.09 के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियों की जांच करेंगे।हेडिंग 12.09 के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियों के पहले पैराग्राफ में कहा गया है कि हेडिंग में बुवाई के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी बीज, फल और बीजाणु शामिल हैं।इसमें ऐसे उत्पाद शामिल हैं, भले ही वे अंकुरण में सक्षम न हों।इस कथन को अध्याय नोट 3 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि शीर्षक 12.09 के उद्देश्य से, फलों के पेड़ों के बीजों को बुवाई के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रकार के बीज के रूप में माना जाना चाहिए। हालाँकि, अनुच्छेद उन उत्पादों पर लागू नहीं होता है जिनका उल्लेख स्पष्टीकरण नोट के अंत में किया गया है, भले ही उनमें उल्लिखित बीजों का उपयोग बुवाई के लिए किया जाता है क्योंकि उन्हें नामकरण में कहीं और वर्गीकृत किया गया था।खंड (ए) से (एच) के माध्यम से अपवर्जन शीर्षक 12.09 के व्याख्यात्मक टिप्पणियों के पहले पैराग्राफ की पुष्टि और पुष्टि करता है।व्याख्यात्मक टिप्पणियों के दूसरे पैराग्राफ में, अध्याय नोट 3 द्वारा पहले से ही हटाए गए बीजों के अलावा, उन बीजों और फलों को भी शामिल नहीं किया गया है जो मुख्य रूप से इत्र, फार्मेसी या कीटनाशक, कवकनाशी या इसी तरह के उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि वे शीर्षक 12.11 के तहत आते हैं।यह स्पष्टीकरण सूचना के खंड (जी) द्वारा दोहराया गया है जिसमें कहा गया है कि बीज

च

और फल, जो मुख्य रूप से इत्र, फार्मेसी या कीटनाशक, कवकनाशी या इसी तरह के उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रकार के होते हैं, उन्हें शीर्षक 12.11 के तहत शामिल किया जाएगा।

23. हेडिंग 12.11 में कहा गया है कि बीज और फलों सहित पौधों के पौधे और हिस्से, जो मुख्य रूप से इत्र, फार्मेसी या कीटनाशक, कवकनाशक या इसी तरह के उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं, ताजा या सूखे, चाहे कटे हुए, कुचले हुए या चूर्ण किए गए हों, उक्त हेडिंग द्वारा कवर किए जाएंगे।हमें इस हेडिंग को विस्तार से संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि उक्त हेडिंग में शामिल उत्पादों के विवरण पर ध्यान दिया जाए, जिसमें एम्ब्रेट, एंजेलिका, बर्डॉक आदि के मामले में बीज शामिल हैं।सूची की गणना के बाद, व्याख्यात्मक टिप्पणियों में कहा गया है कि सूची समाप्त नहीं हुई है और पौधों की पहचान में सहायता के लिए दी गई है।किसी विशेष प्रजाति के वानस्पतिक नामों का उल्लेख आवश्यक रूप से यह संकेत नहीं देता है कि एक ही पादप परिवार की अन्य प्रजातियों को शीर्षक में वर्गीकृत नहीं किया गया है।यह आगे कहा गया है कि इस शीर्षक के उत्पाद जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों के तहत मादक दवाओं के रूप में माना जाता है, उन्हें अध्याय 29 के अंत में सूची में दर्शाया गया है।

ग

डी.

24. आम बोलचाल में और व्यावसायिक अर्थ में 'बीज' शब्द का अर्थ है बुवाई के लिए उपयोग किए जाने वाले पौधों के अनाज या पके हुए अंडाशय।एक बीज का सामान्य कार्य अंकुरित करना और एक नए पौधे का उत्पादन करना है।मोटे तौर पर, एक बीज में एक प्रसारक संरचना शामिल होती है जैसे कि एक बीजाणु, या एक छोटा सा सूखा फल।कुछ फल और सब्जियों के बीज खाने योग्य होते हैं और मनुष्यों द्वारा भोजन के रूप में या मसालों के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं।हालांकि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अध्याय नोट 3 के अनुसार "वन के पेड़ों के बीज, फलों के पेड़ों के बीज।इन्हें बुवाई के लिए उपयोग किए जाने वाले एक प्रकार के बीज के रूप में माना जाना चाहिए।

ई.

25. वर्तमान मामले के संदर्भ में, एक बार जब हम सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष को स्वीकार कर लेते हैं कि 'अनारदाना' स्थानीय 'दारू' या जंगली अनार का एक सूखा उत्पाद है, जो मध्य पहाड़ी परिस्थितियों में उगता है और जो फल अपने ताजा रूप में खंड 7 से शीर्ष 08.10 में शामिल अनार से अलग है, क्योंकि इस जंगली अनार का सेवन ताजे फल के रूप में नहीं किया जाता है, तो राजस्व का तर्क विफल होना चाहिए।जी. आर. आई. 3, जो शीर्षक, खंड या अध्याय टिप्पणियों के अभाव में, प्राथमिकता के क्रम को निर्धारित करता है-(ए) विशिष्ट विवरण, (बी) आवश्यक चरित्र, और (सी) शीर्षक जो संख्यात्मक क्रम में अंतिम होता है, और यहां तक कि जी. आर. आई. 4-उन वस्तुओं के लिए उपयुक्त शीर्षक "जिनके लिए वे सबसे अधिक समान हैं", हमारे निष्कर्ष और निष्कर्ष का समर्थन करता है।प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील का प्रस्तुत करना सही है कि जब राजस्व निर्धारिती द्वारा किए गए वर्गीकरण को चुनौती देता है, तो ए के लिए राजस्व की जिम्मेदारी होती है।

च

जी.

एच.

यह स्थापित करें कि विचाराधीन वस्तु कर लगाने की श्रेणी में आती है जैसा कि उन्होंने दावा किया है।16 राजस्व पर यह दिखाने के लिए उचित साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार है कि माल निर्धारिती द्वारा दावा किए गए शीर्षक से अलग शीर्षक के तहत वर्गीकृत किए जा सकते हैं।सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा दर्ज तथ्य का निष्कर्ष आयात नीति के उप-शीर्षक 1209.99.00 से जुड़ी नीतिगत शर्त से मजबूत होता है जिसमें विशेष रूप से कहा गया है-'अनार के बीजों का आयात मुफ्त होगा'।बिना किसी संदेह के, आयात नीति में उप-शीर्षक 1209.99.00 एचएसएन के अध्याय 12 के उप-शीर्षक 1209.99 से संबंधित है। राजस्व का यह तर्क कि आयात नीति प्रत्यायोजित विधान की प्रकृति में है, हालांकि सही है, वर्तमान मामले के संदर्भ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि निर्यात/आयात नीति में नीतिगत शर्त में विशेष रूप से अनार के बीज शामिल हैं-उप-शीर्षक 1209.99.00 के तहत 'अनारदाना' के रूप में, जबकि सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1975 की अनुसूची केवल एच. एस. एन. के शीर्षक और उप-शीर्षक को पुनः प्रस्तुत करती है, उप-शीर्षक 1209.99 के तहत अनार के बीजों को विशेष रूप से शामिल या बहिष्कृत किए बिना।

ग

26. ऊपर बताए गए कारणों से, राजस्व की अपील विफल होनी चाहिए और खारिज होने योग्य हैं।हालाँकि, अलग होने से पहले, हमें इस कारण का विज्ञापन करना चाहिए कि हमने अध्याय 9 के तहत शीर्षक 12.11 और शीर्षक 09.10 का उल्लेख और पुनरुत्पादन क्यों किया है।ऐसे कई स्रोत भी हैं जो बताते हैं कि 'अनारदाना' का उपयोग मुख्य रूप से मसाले के रूप में और आयुर्वेदिक दवाओं की तैयारी के लिए फार्मेसी में किया जाता है।17 हालाँकि, हम इस संबंध में कोई अंतिम राय व्यक्त नहीं करेंगे क्योंकि राजस्व ने उक्त शीर्षकों और कारण दर्शाएँ नोटिस पर भरोसा नहीं किया है जिसके परिणामस्वरूप निर्णय आदेश दिए गए और अपीलीय आदेश इस दावे तक सीमित और सीमित थे कि माल उप-शीर्षक 0813.40.90 के तहत शामिल किया जाएगा।

डी.

ई.

च

27. पोस्टस्क्रिप्ट के रूप में, यह भी उल्लेखनीय है कि अनार के बीज मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की अनुसूची के तहत 'मसाला' के रूप में अधिसूचित और मान्यता प्राप्त वस्तुओं में से एक हैं।इस अधिनियम की धारा 2 (एन) में कहा गया है

16 एच. पी. एल. केमिकल्स लिमिटेड बनाम देखें।केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चंडीगढ़ (2006) 5 एस. सी. सी. 208, पारले एग्रो प्राइवेट। लिमिटेड वी.वाणिज्यिक कर आयुक्त, त्रिवेंद्रम (2017) 7 एस. सी. सी. 540, भारत संघ और अन्य। गारवेयर नायलन्स लिमिटेड और अन्य। (1996) 10 एससीसी

जी.

413.

17 भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अनुसार 'अनारदाना' का मुख्य अनुप्रयोग 'खाद्य अम्लीय, पाचन कैंडी, पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली' में है।इसके अलावा, भारतीय मसाला बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार का कहना है कि "(अनार) के बीज को गूदे से सुखाने का उपयोग कई व्यंजनों में मसाले के रूप में किया जाता है।"ऊपर दिए गए फुटनोट 15 का भी संदर्भ लें।

एच.

172

कि 'मसाला' का अर्थ अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी वस्तु से है।इसके अलावा, भारत से 'अनारदाना' के निर्यात पर उपलब्ध आंकड़े एक बहुत ही अलग तस्वीर पेश करते हैं और राजस्व के विवाद का खंडन करते हैं।उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भारत से निर्यात किए जाने वाले 18 अधिकांश 'अनारदाना' को उप-शीर्षक 0910.99.90 के तहत 'अन्य मसालों' के रूप में या उप-शीर्षक 3004.90.11 के तहत 'आयुर्वेदिक प्रणाली की दवाओं' के रूप में निर्यात किया जाता है।यद्यपि हम इस संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि समान वस्तुओं के आयात के लिए राजस्व शीर्ष 0813 के तहत वर्गीकरण की मांग करता है।हम इस बात से अवगत हैं कि उपरोक्त टिप्पणियों से मुकदमेबाजी का एक और दौर शुरू हो सकता है।यह सलाह दी जा सकती है कि राजस्व को आंकड़ों की जांच करने और 'अनारदाना' के वर्गीकरण पर व्यापार संघों के विचारों का पता लगाने या एक विशिष्ट सीमा शुल्क तय करने के बाद एक विचारशील नीतिगत निर्णय लेना चाहिए।जब तक उक्त अभ्यास नहीं किया जाता है, तब तक सी. ई. एस. टी. ए. टी. द्वारा निर्धारित वर्गीकरण को भ्रम और मुकदमेबाजी से बचने के लिए जारी रखा जा सकता है।

ग

28. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलों को लागत के संबंध में किसी भी आदेश के बिना खारिज कर दिया जाता है।

डी.

अंकित ज्ञान और अमरेंद्र कुमार

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

(सहायकः प्रज्ञा सामल, एलसीआरए)

ई.

च

जी.

18 यह जानकारी एच. टी. एस. पर उपलब्ध हैः//डब्ल्यू. डब्ल्यू.सीयर।को.इन/अनारदाना-एचएस-कोड।एएसपीएक्स।

एच.